महिलाओं का राजनीतिक सषक्तीकरण

प्रा. डॉ. गुलाबराव विठोबा मंडलीक
आनंदराव धोंडे महाविद्यालय कडा,
तह. आश्टी, जिला–बीड

उंदकसपाहअ2016 / हउंपसण्बवउ

वैदिक युग में भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुशों के समान षिक्षा, धर्म, राजनीति, संपत्ति व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त थे। पुरुशों के समान स्वतंत्रता और षील तथा सम्मान की रक्षा करना एक महान कर्तव्य माना जाता था। वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। मध्ययुग में पितृसत्ताक और पुरुशप्रधान समाज में स्त्री–पुरुश में असमानता स्वीकृत थी। लिंगभेद के आधार पर स्त्री–पुरुश की भूमिका निर्णित थी और स्त्रियों की स्थिति कमरे की चार दीवारी के अंदर थी। यह युग स्त्रियों की स्थिति की दृश्टि से एक कलंक का युग माना जाता है। अंग्रेजों के समय में षिक्षा सुधार के प्रयास, पष्चिमी उदारमतवाद, मानवतावाद और लोकतंत्र, स्वतंत्रता–समानता की वजह एवं स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को दिये अधिकार, हक, षिक्षा, व्यवसाय जैसे आधुनिक कारकों के प्रभाव से महिलाओं के स्थान और भूमिका में बदलाव आया है।

महिलाओं का राजनीतिक विकास क्या है इसकी जानकारी के लिये हमे प्रसिध्द विचारक लूसियन पाई ने जो अवधारणा विकसित की है उसके अनुसार राजनीतिक विकास को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इस क्रम में हमे महिलाओं की दृश्टि से तीन बातोंपर अपना ध्यान केंद्रित करना है–

1- समानता के लिये संवेदनषीलता,

2- राज्य में समाजव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता एवं

3- राज्यव्यवस्था की इकाईयों से महिलाओं का संबंध

इन आधारों अथवा बातों पर किया जानेवाला प्रत्येक विष्लेशण महिलाओं के राजनीतिकविकास के स्तर को असंतोशजनक स्थिति में बताता है। अतः भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृश्टि से महिलाओं का विकास तभी संभव है, जब संपूर्ण देष की महिलाएँ देष के समग्र विकास की प्रक्रिया में भाग लें।

संयुक्त राश्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम व्दारा वर्श 1994में बिजिंग में हुए विष्व महिला संमेलन से पहले जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार पूरे विष्व की संसदों में महिलाओं की औसत संख्या पुरुशों की तुलना में मात्र दस प्रतिषत थी और मंत्री स्तर की स्थिति तो और भी दयनीय बतायी गई थी, इसमें तो महिलाओं का औसत 6 प्रतिषत ही था। राजनीतिक विकास के मुख्य रुप से चार पक्ष है।

1. राजनीतिक जागरुकता,
2. राजनीति में भागीदारी,
3. राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना, एवं
4. नेतृत्व प्राप्त पर निर्णयों को प्रभावित करना तथा दिषा देना

भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला समय था जिस स्थानीय स्वषासित संस्थाओं में एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए।इन संविधान संषोधनों से पंचायत की सत्ता संरचना में और निर्णय की प्रक्रिया में महिलाएँ भागीदार हुयी इतनाही नही, इससे महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी बढेगी और वह अपनी षक्ति का सामाजिक विकास में तथा राजनीतिक कार्यकलापो में लग सकेगी और एक सुदृढ लोकतंत्र की स्थापना कर सकेगी। इसमें कई रचनात्मक परिणाम सामने आयेंगे। राजनीति में भागीदारी में महिलाओं में जागृति उत्पन्न हुई और वह निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी से उनमें आत्मविष्वास और स्वाभिमान, समानता एवं स्वायत्तता के अधिकार का एहसास हुआ और वह नीति–निर्धारण व क्रियान्वयन में अपनी प्रभावी व रचनात्मक भूमिका निर्वहन करेगी। समाजविकास के नये मॉडल पर पुनःविचार किया। ये सब महिलाओं के राजनीतिक सषक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

समाजशास्त्री एच. हर्नेसने महिलाओं की अनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में तर्क दिये है। वेविशयता की गंभीरता तथा महत्ता को समेटे हुए है उनके अनुसार–

- प्रजातंत्रीय सिध्दान्त के अनुसार महिलाओं को आनुपातिक प्रतिनिधित्व देकर न्याय की अवधारणा को पुश्ट किया जाए।
- वर्ग, जाति, लिंग, धर्म आदि विभाजनों पर महिलाएँ एक हितसमूह हैं, जिनके अपने निष्चित सामान्य हित हैं, जो बहुरुपिपितृसत्तात्मक व्यवस्था से उपजते है और उनकी सुरक्षा का निर्धारण महिलाएँ ही कर सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य :

1. पंचायत व्यवस्था में सहभागी ज्यादातर महिलायें निरक्षर थीं, कई महिलाओं की (38 प्रतिषत) पंचायत में पहले सदस्यता थी या उनके पति या कुटुंब के अन्य सदस्य थे। 37 प्रतिषत महिलायें पहली बार पंचायत व्यवस्था में सहयोगी हुई और वह अपने पति या परिवार के आग्रह से आयी।
2. 37 प्रतिषत महिलाओं को पंचायत ने अपनी भूमिका के बारे में जानकारी थी, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, नये सडकों का निर्माण, बिजली, गृहउदयोग और कुटिरउदयोग के बारे में प्रषिक्षण देने का, षिक्षा का प्रसार–प्रचार, कृशि सुधार के लिए सिंचाई व्यवस्था, संषोधन, बीज आदि विकास के कार्य किये।
3. अनुसूचित जाति और पिछडे वर्ग की महिलाओं को पंचायत व्यवस्था में कार्य करने में निम्न परिवार, निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थान की वजह से लघुताग्रंथी का एहसास है इससे कई महिलाएँ अपने कार्य में संकोच, भय और कम आत्मविष्वास रखती है।
4. 32 प्रतिषत महिलाओं के परंपरागत सामाजिक स्थान में बदलाव आया है कुछ महिलाओं के साथ चर्चा करने से पता चला कि अब उनके विचारों की परिवार में स्वीकृति होती है और उन्हें महिला संघटन एवं स्थानिक समुदाय मान और प्रतिश्ठा देते है।
5. 22 प्रतिषत राजनीतिक दल के सहकार से सहभागी महिलाओं को पंचायत व्यवस्था में कार्य करने में बढी कठिनाई होती है। चुनाव के समय उनको दल का प्रचार और विकास का कार्य करना पडता है जिससे वह अपना कार्य सक्रिय रुप से नही कर पाती।
6. एकल परिवार से आयी महिलाओं को कार्य करने में सरलता मालूम हुयी युवा और अविवाहित महिलाओं को कार्य करने में चरित्र का प्रष्न बाधक हैं। 21 प्रतिषत महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में कोई रुची नहीं हैं, इसलिए उनकी भूमिका प्रभावकारी नहीं हैं, उनका पूरा कार्य आमसभाओं को संबोधन उनके पति या परिवार के अन्य प्रषिक्षित सदस्य करते है।

सुझाव :

1. ज्यादातर महिला अनपढ हैं जिससे उनको पंचायत का लेखापत्र नियम पढने या लिखने में दिक्कत होती है। इसलिये महिला नेताओं को षिक्षा देना अति आवष्यक है। साथ ही राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं का प्रवेष पहली बार हुआ है। इसलिए उनको पंचायत के कार्य और उनसे संबंधित प्रषिक्षण षिविर चलाने चाहिए। साथ ही साथ उनके राजनीतिक अधिकार किया हैघ्सामाजिक दायित्व कौन–कौन से है, इस बारे में जागरुक करने के लिये महिला प्रषिक्षण, चर्चासभा, महिला संमेलन का आयोजन करना चाहिए। इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका प्रमुख एवं महत्वपूर्ण रहेगी।
2. पारिवारिक उत्तरदायित्वों में सिर्फ महिलाओं की भूमिका प्रमुख है। हमारी सामाजिक संरचना एवं परंपराएँ भी उसकी समर्थक है, जिससे महिलाओं को पंचायत के कार्यों के लिये कम वक्त मिलता हैं। इसलिये पारिवारिक उत्तरदायित्व में महिलाओं की भूमिका के साथ पति का सहकार एवं भागीदारी भी उतनी ही जरुरी है, जिससे महिलाओं को पंचायत के कार्य करने में पूरा वक्त मिल सके।
3. राजनीतिक माहोल में अपराधीकरण,आतंकवाद,काला–धन,चरित्र लांछन जैसे दुर्गूण हैं, जिनसे महिलायें सार्वजनिक रुप से अलग रहती है क्योंकि उन्हें सामाजिक अप्रतिश्ठा का भय बना रहता है। इसलिए राजनेताओं और राजनीतिक दलों व्दारा इस दूशित वातावरण में परिवर्तन लाना जरुरी है, जिससे महिलायें राजनीति अपना योगदान दे सके।
4. राजनीतिक माहोल में सहभागी महिलाओं के प्रति पुरुशप्रधान की रुढिवादी सोच–समझ बदलनी चाहिए। उसको भी पुरुशों जैसा ही मान–सम्मान और सामाजिक प्रतिश्ठा देनी चाहिए। परिवार और समाज में स्त्री–पुरुश दोनों एक दूसरे के सहयोग से अपने दायित्वों का निर्वाह करें, यह भावना विकसित करनी आवष्यक है।
5. आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजकिय सहभागीता एवं सक्रियता का प्रमुख आधार है इसलिए महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता बढानी चाहिए। महिला नेताओं को हरमास कुछ वेतन देना चाहिए जिससे उनको पंचायत से संबंधित प्रकार्य या अन्य कार्य करने में आर्थिक बाधा न आए। साथही ग्रामपंचायतों के पास वित्तिय स्त्रोत होना जरुरी है।
6. आज का युग प्रतियोगिता युग है महिलाओं को मात्र कानूनी अधिकार दिये जाने से वे समान अधिकार का उपयोग नहीं कर सकती। आवष्यकता इस बात की है कि समाज में सामाजिक परिवर्तन हो समाज का नजरिया बदलना होगा एवं महिलाओं को अपने मन में हीन भावना अंत करना होगा। महिलाओं में राजनीतिक जागरुकता उत्पन्न कि जाय। इस संबंध में षिक्षित एवं जागृत महिलाएँ प्रौढ षिक्षा केंद्र संचालन करे, बुध्दीजीवी वर्ग, दार्षनिक एवं देष के नेता इस समस्या की तह तक जाकर उसका निराकरण करे।
7. विभिन्न राजनीतिक दलोंव्दारा महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आने के लिये प्रोत्साहित किया जाए एवं प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए राहत कोष की स्थापना की जानी चाहिए एवं उन्हें दिषा–निर्देष देने हेतू हर स्तर पर महिला आयोग एवं सलाहकार बोर्ड स्थापित किया जायें। समय–समय पर महिला सम्मेलन आयोजित किये जायें, जिनमें ग्रामीण महिलाओं को अधिक संख्या में आमंत्रित किया जाये ताकिवे अपनी सिमित क्षेत्र से बाहर निकलकर अपना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास कर सके।
8. कुछ जटिल प्रष्नों के निराकरण के लियें समुदाय के सभी लोगों एवं समूहों को महिला नेता के साथ रहना चाहिये, जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिले और विकास का अच्छा कार्य करनेवाले नेता को पुरस्कार, सामाजिक मान–प्रतिश्ठा देनी चाहिये, जिससे हर क्षेत्र में उसको विषेश कार्य करने की प्रेरणा मिल सके।

9. कई सालों के बाद महिलायें पहली बार सार्वजनिक जीवन में आयी है इसलिये उनमें भय संकोच एवं जादा घबराहट हैं, उनमें साहस और त्याग की भावना का विकास करना होगा। साथ ही साथ उन में आत्मविष्वास पैदा करने की आवष्यकता है।

10. कुछ प्रमुख विषेशताएँ, जैसे कि दूरदर्षिता, परिश्रमषिलता, मृदूवाणी, भाशणक्षमता, संयम, चतुरता, सामाजिक कार्यों में भाग लेना आदि महिलाओं में नेतृत्व–षक्ति विकसित करने के लिए आवष्यक है। इसके लिये षिविरों, चर्चासभा और ओरिएंटेषन कोर्स आदि कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

निष्कर्श :

आज हमारे देष में इस बात को समझा जाने लगा है कि पुरुश और महिला दोनों ही जीवनरुपी गाडी के दो पहिए है और उनके बराबर चलनेपर ही यह गाडी अच्छी तरह से चल सकती है। आज इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि देष की इस आधी आबादी इतनाही नही इस अधिक अच्छे आधे भाग के सम्मान और सहयोग दिये बिना देष प्रगति के पथपर आगे नही जा सकता।

इसका एक यह भी महत्वपूर्ण कारण है कि देष के भावी राश्ट्रनिर्माता–श्बालक–बालिकाओंश्के निर्माण का गुरुत्तर दायित्व देष की महिलाओं पर ही है।